उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन समावेशी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

परिचय

दुनिया भर में बुज़ुर्गों की बढ़ती संख्या और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दिव्यांगता में वृद्धि हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 9 जून 2011 को जारी विश्व दिव्यांगता रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत या एक अरब से अधिक लोग दिव्यांग हैं। दिव्यांगजन अनेकों रूप और विविध प्रकार के बहिष्कार का सामना करते हैं। वे गैर-दिव्यांग लोगों की तुलना में अधिक संवेदनशील और वंचित होते हैं। लगभग 80 प्रतिशत दिव्यांगजन विकासशील देशों में रहते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन/संधि (UNCRPD) यह मान्यता देती है कि "दिव्यांगता एक विकसित होती हुई अवधारणा है" और दिव्यांग व्यक्तियों को इस प्रकार परिभाषित करती है — "ऐसे व्यक्ति जिनमें दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या इंद्रिय संबंधी बाधाएं होती हैं, जो विभिन्न अवरोधों के साथ परस्पर क्रिया में समाज में दूसरों के समान पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट उत्पन्न कर सकती हैं।"

भारत उन पहले देशों में शामिल था जिन्होंने 2007 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन/संधि (UNCRPD) की पुष्टि की थी। हालांकि, इस संधि के सभी प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने के लिए हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। CRPD के अनुच्छेद 24 में दिव्यांग व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समावेशी शिक्षा का अधिकार और सभी स्तरों पर, जीवनभर सीखने के साथ, समान अवसर प्रदान करने की मान्यता दी गई है। ऐसा एक प्रमुख क्षेत्र जहाँ हम अभी भी काफी पीछे हैं, वह है दिव्यांगजन समावेशी पूर्व-प्राथमिक (प्री-स्कूल) शिक्षा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने दिव्यांग बच्चों की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा हेतु एक दिशा-निर्देश जारी किया है। हम सभी को मिलकर इस दिशा-निर्देश को लागू करने की दिशा में कार्य करना होगा ताकि 3 से 6 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी समान अवसर मिल सकें।

आइए पहले समझते हैं कि दिव्यांगजन से संबंधित समग्र चुनौतियाँ क्या हैं:

- दिव्यांग बच्चे/व्यक्ति सबसे वंचित और गरीब समूहों/समुदायों में अनुपातिक रूप से अधिक हैं। इनकी विभिन्न सेवाओं तक पहुंच अब भी सीमित है।
- दिव्यांग बच्चे/व्यक्तियों का कोई विशेष समुदाय या स्थान नहीं होता, वे हर जगह हैं — सभी गांवों और शहरों में।
- दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों के लिए सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों ही कमजोर हैं।
- मौजूदा कानूनों और दिशा-निर्देशों में प्रतिबद्धताओं के बावजूद, संस्थान (जैसे स्कूल, अस्पताल, कार्यस्थल) अभी भी सुगम और समावेशी नहीं हैं।
- दिव्यांगता से संबंधित आंकड़े अब भी अधूरे और अपर्याप्त हैं – पहचान और मूल्यांकन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों को लेकर भ्रांतियां और मिथक आम हैं, यहां तक कि चिकित्सकों और शिक्षकों में भी।
- जमीनी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्यकर्मियों, शिक्षकों और जिला व ब्लॉक स्तर के अधिकारियों का क्षमता विकास अधूरा और गुणवत्ता की दृष्टि से कमजोर है।

- दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों के लिए जारी दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) अभी भी पहचान के लिए मेडिकल मॉडल पर आधारित हैं, जबकि हमें बेहतर स्क्रीनिंग और पहचान के लिए सामाजिक मॉडल की ओर बढ़ना होगा।

2022 में देवीपाटन मंडल के चारों ज़िलों के 8,234 सरकारी स्कूलों में 24,579 दिव्यांग बच्चों का नामांकन हुआ था। लेकिन उसी वर्ष मंडल के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में केवल 76 दिव्यांग बच्चे ही नामांकित थे। इससे स्पष्ट होता है कि दिव्यांग बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में शायद ही कभी आते हैं।

अब आइए समझते हैं कि दिव्यांगजन समावेशी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी विशेष चुनौतियाँ क्या हैं:

- मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड/एमसीपी कार्ड में नवजात शिशुओं की विकासात्मक विलंब के संकेत होते हैं। यदि इन संकेतकों के माध्यम से सही तरीके से स्क्रीनिंग की जाए, तो दिव्यांगता की संभावनाओं की पहचान, रेफरल और आगे का मूल्यांकन संभव है। लेकिन हकीकत में मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड/एमसीपी कार्ड के माध्यम से यह स्क्रीनिंग शायद ही कभी की जाती है।
- अभिभावक और देखभालकर्ता अपने दिव्यांग बच्चों को आंगनवाड़ी भेजने को लेकर अत्यधिक रक्षात्मक रहते हैं। उन्हें बच्चों की सुरक्षा को लेकर संदेह होता है।
- कई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को यह आत्मविश्वास नहीं होता कि वे दिव्यांग बच्चों को संभाल पाएंगी या नहीं। कई बार वे यह तय भी नहीं कर पातीं कि ऐसे बच्चों को आंगनवाड़ी भेजा जाना चाहिए या नहीं। अधिकांश कार्यकर्त्रियों को अब तक दिव्यांग समावेशी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है।
- आंगनवाड़ी केंद्रों में, यहां तक कि सह-स्थित (co-located) केंद्रों में भी, आधारभूत संरचना और जल एवं स्वच्छता (WASH) सुविधाएं दिव्यांगजनों के अनुकूल नहीं हैं।
- आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी तक दिव्यांग समावेशी प्री-स्कूल किट की आपूर्ति नहीं हुई है। हालांकि, यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को थोड़ा-सा प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे मौजूदा किट को उनके अनुसार बना सकती हैं या स्वयं शैक्षणिक शिक्षण सामग्री (TLMs) बनाकर दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं।
- उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए मूल्यांकन, प्रमाण-पत्र और सहायक उपकरणों की संस्थागत व्यवस्था है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

इन चुनौतियों का समाधान एक समन्वित प्रयास से ही संभव है जिसमें प्रशिक्षण, जागरूकता, संसाधन, और नीति का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल हो।

इन चुनौतियों के बावजूद हमारे पास दिव्यांग समावेशी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए कई अवसर मौजूद हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने इस विषय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे आईसीडीएस (ICDS) सेवाओं में, विशेष रूप से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में, दिव्यांग समावेश को मजबूत करने की एक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आईसीडीएस उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, दिव्यांग बच्चों के नामांकन हेतु निर्देश, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइज़रों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के दिव्यांग समावेशी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर अभिमुखीकरण का पायलट प्रोजेक्ट, और 'पहल' दस्तावेज़ का

दिव्यांग समावेशन पर केंद्रित पुनर्लेखन। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग समावेशी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए हमारे सामने निम्नलिखित अवसर हैं:

- आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और अभिभावक आपसी सहयोग से मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड/एमसीपी कार्ड का सही उपयोग करें ताकि विकासात्मक विलंब की पहचान और समय रहते रेफरल संभव हो सके।
- 2022 में देवीपाटन मंडल में केवल 76 दिव्यांग बच्चों का नामांकन था, लेकिन विकास सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से चलाए गए लक्षित अभियानों के परिणामस्वरूप 4,701 बच्चों की पहचान हो चुकी है और 2,077 का नामांकन भी हो चुका है। अनुमान है कि 2027 के अंत तक करीब 15,000 दिव्यांग बच्चे नियमित रूप से आंगनवाड़ी की पूर्व-प्राथमिक गतिविधियों में भाग लेंगे। यह दिखाता है कि यदि अन्य जिलों में भी ऐसे अभियान चलाए जाएं, तो दिव्यांग बच्चों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- दिव्यांग समावेशी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर एक प्रशिक्षण सामग्री (वीडियो और प्रशिक्षकों के लिए हैंडआउट) तैयार किया गया है, जिसे पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है।
- आईसीडीएस उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए एक अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम विकसित किया गया है, जो दिव्यांग समावेशन की दिशा में सकारात्मक और ठोस कदम उठाने में सहायक होगा।
- बेसिक शिक्षा विभाग सह-स्थित (co-lated) आंगनवाड़ी केंद्रों को सहयोग प्रदान कर रहा है। इसी सहायता के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए मूल्यांकन, प्रमाणन और सहायक उपकरणों की सुविधाएं भी विस्तार की जा सकती हैं।
- दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं मौजूद हैं और UDID (Unique Disability ID) जारी किए जा रहे हैं। UDID से सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा योजनाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित होती है। विशेष प्रयासों से आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए UDID पहुँच को बढ़ाया जा सकता है।
- जिला अस्पतालों में निर्धारित दिनों पर मूल्यांकन और प्रमाणन शिविर आयोजित होते हैं। जहाँ संभव हो, आंगनवाड़ी केंद्रों के दिव्यांग बच्चों को इन सत्रों में शामिल किया जा सकता है।
- अधिक संख्या में दिव्यांग बच्चों की आंगनवाड़ी में भागीदारी से उनके लिए संस्थागत प्रावधानों को मजबूत किया जा सकेगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कायाकल्प कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग सहयोग कर रहा है। ज़िला स्तर पर ।CDS को इस पहल में सक्रिय रूप से भागीदारी करनी चाहिए ताकि आंगनवाड़ी केंद्र तय मानकों के अनुसार सुगम्य और समावेशी बन सकें।
- नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। सभी नवनिर्मित केंद्रों को शुरू से ही दिव्यांग अनुकूल बनाया जाए, ताकि बाद में पुनर्निर्माण सुधार की आवश्यकता न पड़े।
- इन सभी प्रयासों के समन्वित क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में दिव्यांग समावेशी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को एक सशक्त और व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है।